



डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश
जानकीपुरम विस्तार, सेक्टर – 11, सीतापुर रोड, लखनऊ-226031

कार्यालय आदेश

कृपया विश्वविद्यालय के पत्रांक संख्या: ए०के०टी०यू०/कुस०का०/AFF-99/2024/4382, दिनांक: 16.10.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तदक्रम में संस्थान द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर सक्षम स्तर द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्रांक: No.F.2-10/2023(AC-Policy) दिनांक: 13 नवम्बर, 2023 विषयक Conferment of Autonomous Status to KIET Group of Institutions, 13 KM Stone Ghaziabad-201206, Uttar Pradesh Affiliated to Dr. APJ Abdul Kalam Technical University Lucknow के क्रम में KIET Group of Institutions, 13 KM Stone Ghaziabad-201206, Uttar Pradesh (Institute Code-029 and 199) एवं तदक्रम में राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या: ई-6797/06-जी०एस०/2024(Viii) दिनांक 25 सितम्बर, 2024 के अनुपालन में तदवर्णित संस्थान को शैक्षिक सत्र 2024-25 से आगामी 10 वर्षों के लिए शैक्षिक स्वायत्तता प्रदान की जाती है।

उक्त के क्रम में विश्वविद्यालय की विनियमावली के विनियम 6.29 में वर्णित विनियमों एवं विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले दिशा-निर्देशों का अनुपालन संस्थान को करना होगा। साथ ही विश्वविद्यालय की वित्त समिति की 57 वीं बैठक के मद संख्या 21.57.02 के बिन्दु-5 के अनुसार स्वायत्तशासी संस्थान एवं विश्वविद्यालय में परीक्षा शुल्क 70:30 के अनुपात में साझा किया जायेगा। विश्वविद्यालय के पत्र संख्या-4382 दिनांक-16.10.2024 को इस सीमा तक संशोधित पढ़ा जाए।

(रीना सिंह)
कुलसचिव

पत्रांक संख्या: ए०के०टी०यू०/कुस०का०/AFF-99/2025/6501

दिनांक: 16 अप्रैल, 2025

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ।

1. अपर मुख्य सचिव, मा० कुलाधिपति, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002
3. अपर मुख्य सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. निदेशक, के०आई०ई०टी० ग्रुप आफ इंस्टीट्यूशन, गाजियाबाद।
5. स्टाफ आफिसर, ए०के०टी०यू०, को मा० कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।

(रीना सिंह)
कुलसचिव